[2018] 7 एस.सी.आर. 1135

श्याम सुंदर अग्रवाल

बनाम

पी. नरोत्तम राव और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 6872 2018)

जुलाई 23, 2018

[आर। एफ. नरीमन और इंदु मल्होत्रा, जे.जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - किसी कंपनी के शेयरों की बिक्री और खरीद के लिए पार्टियों के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन (एमओयू)/समझौता - यह मुद्दा कि क्या उक्त समझौते के खंड 12 को मध्यस्थता खंड कहा जा सकता है - आयोजित: विभिन्न खंडों को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि दो व्यक्ति, जिन्हें मध्यस्थ/मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है, एस्क्रो एजेंट हैं, जिन्हें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एस्क्रो में रखने और एमओयू में निहित लेनदेन के सफल समापन को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था - वास्तविक तथ्य कि उन्हें "मध्यस्थ/मध्यस्थ" और "मध्यस्थ और मध्यस्थ" के रूप में संदर्भित किया गया था, यह दर्शाता है कि इस्तेमाल की गई भाषा ढीली है - वास्तव में विचार यह था कि दोनों नामित व्यक्ति पार्टियों के बीच लेनदेन के कार्यान्वयन के दौरान सभी आवश्यक चीजें करते हैं देखें कि लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है - खंड 8 यह स्पष्ट करता है कि विचार विवादों को होने से रोकना और समझौते के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था - उद्देश्य विवादों का निपटारा करना नहीं बल्कि उन्हें रोकना था - खंड 12 को इसमें पढ़ा जाना चाहिए एमओयू के खंड 8 और 11 का प्रकाश, और इसलिए, खंड 12 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "निर्णय" केवल एक प्रोटेम निर्णय है, अर्थात्, दो एस्क्रो एजेंटों को केवल लेनदेन की अवधि के दौरान निर्णय लेना था और उसके बाद नहीं। - लेन-देन पूरा होने के बाद वे "फ़ंक्टस ऑफ़िसियो" थे - समझौते की शब्दावली, इस दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से असंगत है कि समझौते का उद्देश्य था कि विवादों का निर्णय मध्यस्थता द्वारा किया जाए - इसके अलावा, वास्तव में, शेयरों के चार खरीददारों में से तीन ने खंड नहीं पढ़ा था 12 एक मध्यस्थता खंड के रूप में, लेकिन इसके बजाय सिविल कोर्ट से संपर्क किया गया -

अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया गया - भारत का संविधान - अनुच्छेद 136।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए

माना गया: 1.1 खंड 6, 8, 10, 11 और 12 को पढ़ने के परिप्रेक्ष्य में यह उभर कर आता है कि श्री एसआर और श्री जीपीआर, हालांकि स्टाइल में हैं मध्यस्थ/मध्यस्थ, निस्संदेह एस्क्रो एजेंट थे जिन्हें एस्क्रो में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ रखने और एमओयू में शामिल लेनदेन के सफल समापन को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था। वास्तव में, तथ्य यह है कि उन्हें "मध्यस्थ/मध्यस्थ" और "मध्यस्थ और मध्यस्थ" के रूप में संदर्भित किया गया था, यह दर्शाता है कि इस्तेमाल की गई भाषा ढीली थी - विचार वास्तव में यह था कि दो नामित व्यक्ति कार्यान्वयन के दौरान सभी आवश्यक चीजें करते हैं यह देखने के लिए कि लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, पार्टियों के बीच लेनदेन। खंड 8 ने स्पष्ट रूप से घोषणा की और पुष्टि की कि "किसी भी अप्रत्याशित मुकदमेबाजी से बचने के लिए इस लेनदेन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए", दो एस्क्रो एजेंटों को नियुक्त किया गया था। खंड 11 ने आगे यह स्पष्ट कर दिया कि ये दोनों सज्जन एस्क्रो एजेंट थे, लेकिन जब तक कुल लेनदेन संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो जाता, वे कुछ दस्तावेज़ नहीं सौंपेंगे। खंड 12 को एमओयू के इन खंडों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, और इसलिए, खंड 12 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "निर्णय" केवल एक प्रोटेम निर्णय है - अर्थात्, दो एस्क्रो एजेंटों को केवल निर्णय लेने के दौरान ही लेना था। लेन-देन की अवधि और उसके बाद नहीं। लेन-देन पूरा होने के बाद वे "फ़ंक्टस ऑफ़िसियो" थे। इसके अलावा, खंड 12 में जिन "उल्लंघन" का उल्लेख किया गया था, वे अन्य बातों के साथ-साथ, पहले भाग की पार्टी द्वारा दिए गए एक वचन को संदर्भित करते हैं, जो खंड 10 में निहित था, जिसका उल्लंघन होने पर एस्क्रो एजेंटों को आवश्यक रूप से पहले निर्णय लेना होता है। लेन-देन के साथ आगे बढ़ें। इसलिए, जब समग्र रूप से देखा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि दोनों एस्क्रो एजेंट ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का फैसला करना था, चाहे लेनदेन पूरा होने से पहले या बाद में, पार्टियों को सुनने और प्राकृतिक सिद्धांतों का पालन करने के बाद न्याय, अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए। एमओयू को समग्र रूप से पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि उक्त एमओयू केवल उसमें नामित दो सज्जनों को एमओयू में उल्लिखित लेनदेन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एस्क्रो एजेंटों के रूप में शक्तियों के साथ

निवेश करता है और दोनों पक्षों के बीच विवादों को दूर करने के लिए भी नहीं। मध्यस्थ। [पैरा 9,10]

1.2 वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि समझौते की शब्दावली इस दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से असंगत थी कि समझौते का इरादा था कि विवादों का निर्णय मध्यस्थता द्वारा किया जाए। दरअसल, चार में से तीन खरीददारों ने खंड 12 को मध्यस्थता खंड के रूप में नहीं पढ़ा, बल्कि इसके बजाय सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिससे इस निष्कर्ष को बल मिला कि समझौते के पक्षकारों के बाद के आचरण से यह भी पता चला कि वे समझते थे कि खंड 12 मध्यस्थता खंड नहीं था। समझौते में. एमओयू के खंड 8 ने यह स्पष्ट कर दिया कि विचार विवादों को होने से रोकना और समझौते के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उद्देश्य विवादों पर निर्णय देना नहीं बल्कि उन्हें रोकना था। [पैरा 11, 12]

1.3 अपीलकर्ता का आचरण वांछित नहीं है। 24.05.2007 को मध्यस्थता के लिए नोटिस जारी करने के बाद, धारा 11, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के आवेदन को दिसंबर, 2009 तक ढाई साल की अवधि के लिए विलंबित करने का कोई कारण नहीं था। अपीलकर्ता को पता था कि खंड 12 को संभवतः मध्यस्थता खंड के रूप में नहीं समझा जा सकता है, फिर भी किसी तरह उनके भाइयों द्वारा उनके द्वारा दायर किए गए नागरिक मुकदमे में शामिल न होने की कार्यवाही में देरी करने की कोशिश की गई है। समान रूप से, धारा 11 की याचिका के लंबित रहने के दौरान उनका आचरण बहुत कुछ वांछित नहीं है। 22.07.2011 को धारा 11 याचिका में फैसला सुनाए जाने से पहले ही, अपीलकर्ता ने एमओयू के आधार पर राहत के लिए 16.06.2011 को एक अन्य मंच, अर्थात् कंपनी लॉ बोर्ड से संपर्क किया। इसके बाद, उन्होंने कंपनी की याचिका जारी रखी, जिससे इस न्यायालय को यह विश्वास हो गया कि वह 22.07.2011 के फैसले के खिलाफ कोई और सहारा छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर दूसरे विचार पर, 358 दिनों की देरी से एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। 22.07.2011 को उनकी धारा 11 याचिका को खारिज करते हुए निर्णय। विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के दौरान भी उनका आचरण निराशाजनक रहा। 24.01.2017 को, उन्होंने कहा कि कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष दायर की गई उनकी याचिका को मध्यस्थता को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ वापस नहीं लिया जाए, जैसा कि किसी ने उम्मीद की होगी, बल्कि तथ्यों के समान सेट पर एक नई कंपनी याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ली जाए। इस प्रकार, गुण-दोष के आधार पर निर्णय के अलावा,

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का भी प्रयोग नहीं किया गया। [पैरा 13]

बिहार राज्य खनिज विकास निगम बनाम एनकॉन बिल्डर्स (आई) (पी) लिमिटेड **(2003) 7 एससीसी 418: [2003] 2 सप्ल। एससीआर 812 - पर निर्भर।**

पी. दशरथराम रेड्डी कॉम्प्लेक्स बनाम कर्नाटक सरकार और अन्य **(2014) 2 एससीसी 201: [2013] 14 एससीआर 579***; के.के. मोदी बनाम के.एन. मोदी* **(1998) 3 एससीसी 573: [1998] 1 एससीआर 601**; *यूपी राज्य वी. टिपर चंद (1980) 2 एससीसी 341 - संदर्भित।*

केस कानून संदर्भ

[2013] 14 एससीआर 579	**पैरा 5**	**को संदर्भित करता है**
[1998] 1 एससीआर 601	**पैरा 5**	**को संदर्भित करता है**
(1980) 2 एससीसी 341	**पैरा 11**	**को संदर्भित करता है**
[2003] 2 पूरक। एससीआर 812	**पैरा 12**	**पर निर्भर था**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 6872।

2009 के मध्यस्थता आवेदन संख्या 112 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.07.2011 से।

गुरु कृष्णकुमार, अमित सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. श्रीनिवास आर. राव, आबिद अली बीरन पी., श्रीमती सुधा गुप्ता, डी. भरत कुमार, नितीश बंडारी, तदिमल्ला भास्कर गौतम, अमन शुक्ला, सयुज मोहनदास एम., अभिजीत सेनगुप्ता, राणा एस. विश्वास, सुनील क्र. शर्मा, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, टी. श्रीनिवास मूर्ति, सेंथिल जगदीसन, सुश्री सुरीति चौधरी, के.एस. महादेवन, कृष्ण कुमार आर.एस., सुश्री स्वाति बंसल, राजेश कुमार, सलाहकार। उपस्थित पक्षों के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. वर्तमान विवाद मेसर्स मंचेरियल सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के शेयरों की बिक्री और खरीद के लिए पार्टियों के बीच दिनांक 08.12.2005 को निष्पादित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू)/समझौते से उत्पन्न हुआ है, जिसके सभी पक्ष निदेशक हैं। . वर्तमान कार्यवाही में विवाद की जड़ यह है कि क्या उक्त समझौते के खंड 12 को मध्यस्थता खंड कहा जा सकता है।

3. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील को काफी विस्तार से सुना।

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरु कृष्णकुमार ने उक्त एमओयू को हमारे ध्यान में लाया है जिसमें वह विशेष रूप से खंड 12 पर भरोसा करते हैं। उनके अनुसार, उक्त खंड की भाषा वह भाषा है जो अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त खंड एक मध्यस्थता समझौता है। "निर्णय" शब्द का प्रयोग किया जाता है; शब्द "मध्यस्थ/मध्यस्थ" का प्रयोग किया जाता है; अभिव्यक्ति "कोई भी उल्लंघन" का उपयोग किया जाता है; और "निर्णय" अंतिम होगा और उक्त समझौते के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इन शब्दों के आधार पर, विशेष रूप से, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि मध्यस्थता खंड की तीन अनिवार्यताओं को पूरा किया गया है, अर्थात्, पार्टियों के बीच विवाद होने चाहिए, जिन पर पार्टियों को सुनवाई देकर निर्णय लिया जाना चाहिए। जिसके अंत में एक निर्णय होता है जो पार्टियों के बीच अंतिम और बाध्यकारी होता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि खंड 12 में प्रयुक्त शब्दों को देखते हुए समग्र रूप से पढ़ा गया एमओयू उनके तर्क के विरुद्ध नहीं होगा।

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तब ***पी. दशरथराम रेड्डी कॉम्प्लेक्स बनाम कर्नाटक सरकार और अन्य,*** (2014) 2 एससीसी 201 में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया, और यह कहते हुए विशिष्ट निर्णयों का हवाला दिया कि मध्यस्थता खंड में जिस पर विचार किया गया था उस मामले में, यह स्पष्ट था कि इस न्यायालय के पहले के निर्णयों के खंड या तो प्रारंभिक निर्णय की बात करते थे जो तब न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय के अधीन होता था या उन निर्णयों की बात करता था जिन्हें केवल "कुछ समय के लिए" प्रदान किया जाना था। उनके अनुसार, उनका मामला पूरी तरह से अलग था, और इसलिए, वह पूरी तरह से ***के.के. मोदी*** बनाम ***के.एन. मोदी***, (1998) 3 एससीसी 573 मामले में फैसले द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर आते थे।

6. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित सिब्बल को यह बताते हुए कष्ट हो रहा है कि एमओयू, समग्र रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट करता है कि अभिव्यक्ति "मध्यस्थ/मध्यस्थ" का प्रयोग शिथिल रूप से किया गया है। . वास्तव में, मध्यस्थ कहे जाने वाले दो सज्जन, श्री के. सुधाकर राव और श्री गोन प्रकाश राव, एस्क्रो एजेंट हैं, जिनके पास एमओयू के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों के तीन सेटों की सुरक्षा है। उन्होंने खंड 6, 8, 10 और 11 पर दृढ़ता से भरोसा किया और कहा कि इन्हें खंड 12 के साथ पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो कि अभिव्यक्ति "निर्णय" को केवल "संपूर्ण लेनदेन की अवधि के दौरान" के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसका संदर्भ होना चाहिए खंड 10 के तहत होने वाले उल्लंघनों के लिए, क्योंकि पहले भाग की पार्टियां दूसरे भाग की पार्टियों द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी को अपने सहयोगियों की व्यक्तिगत गारंटी के साथ बदलने का कार्य करती हैं, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो एक "निर्णय" होना है एस्क्रो एजेंटों द्वारा लिया गया कि आगे क्या करना है।

7. श्री सिब्बल ने यह भी बताया कि शेयरों के तीन अन्य खरीदार, जो वर्तमान अपीलकर्ता के समान नाव में यात्रा कर रहे थे, सिविल कोर्ट गए थे और ओ.एस. दायर किया था। 2017 की संख्या 241, जिसे तब से डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। वह यह भी बताते हैं कि हमारे सामने पूरी प्रक्रिया अपीलकर्ता द्वारा उक्त एमओयू के तहत 2007 में पहली बार नोटिस जारी करके अपने दांव को हेज करने की एक दुर्भावनापूर्ण कवायद है, जैसे कि उक्त एमओयू में एक मध्यस्थता खंड शामिल था, लेकिन इसके बाद केवल दो और डेढ़ साल बाद दिसंबर 2009 में धारा 11 याचिका दायर की गई। उन्होंने यह भी कहा कि जब धारा 11 याचिका लंबित थी, अपीलकर्ता ने 16.06.2011 को 2011 की कंपनी याचिका संख्या 49 दायर की थी जिसमें उन्होंने राहत की मांग की थी सीधे उक्त एमओयू से बाहर। तथ्यों के उसी सेट पर एक नई कंपनी याचिका दायर करने के लिए 24.01.2017 को इस कंपनी की याचिका को फिर से वापस ले लिया गया, जिससे मध्यस्थता में उपाय के मुकाबले कंपनी कानून में उपाय जारी रखने की इच्छा दिखाई गई या संकेत दिया गया। उन्होंने हमें यह भी बताया कि उनके अपने ग्राहक कंपनी लॉ बोर्ड में एक कंपनी याचिका में गए थे, और 16.03.2016 को आवश्यक राहत प्राप्त करके कंपनी याचिका में सफल हुए थे क्योंकि अपीलकर्ता शुरू से ही मूड में नहीं था। एमओयू की शर्तों को लागू करना। हमें बताया गया है कि उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वह इस तथ्य से गंभीर रूप से पूर्वाग्रहग्रस्त थे कि

अपीलकर्ता ने अपने दांव लगाना जारी रखा और वास्तव में, 358 दिनों की देरी से, विवादित आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। श्री सिब्बल के अनुसार, इसलिए, न केवल यह स्पष्ट है कि एमओयू में कोई मध्यस्थता खंड शामिल नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 136 के तहत हमारे विवेकाधीन क्षेत्राधिकार को देखते हुए, हमें इस मामले के तथ्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

8. पार्टियों के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने के बाद, सबसे पहले पार्टियों के बीच निष्पादित एमओयू के कुछ खंडों को निर्धारित करना आवश्यक है। खंड 3 घोषित करता है कि पार्टियां एक समझौते पर पहुंच गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी में कुछ शेयर बेचे जाने हैं, ताकि कंपनी के भीतर आंतरिक विवाद समाप्त हो सकें, ताकि कंपनी किसी अन्य कंपनी की कुछ संपत्ति खरीद सके। समान रूप से, खंड 6, 8, 10, 11 और 12 महत्वपूर्ण हैं और नीचे दिए गए हैं: -

> "6. पहले भाग की पार्टियों ने श्री पी. नरोत्तम राव के पक्ष में नीचे बताए अनुसार 9 चेक श्री के. सुधाकर राव पुत्र स्वर्गीय श्री के. माधव राव, निवासी प्लॉट नंबर 7, यूबीआई कॉलोनी, रोड नंबर 3 को सौंपे। , बंजारा हिल्स, हैदराबाद और श्री गोन प्रकाश राव पुत्र गोन चलपति राव निवासी ट्रांसपोर्ट गेस्ट हाउस, तरनाका, हैदराबाद मध्यस्थ/मध्यस्थ।

	चेक का विवरण		राशि
दिनांक	चेक संख्या	बैंक एवं शाखा धारक नाम	
09.12.2005	450547	आंध्रा बैंक, सेंट जॉन्स ईएम हाई स्कूल शाखा, एस हरेंद्र का करीमनगर राव	रु.25,00,000/-
09.01.2006	450543	आंध्रा बैंक, सेंट जॉन्स ईएम हाई स्कूल शाखा, एस हरेंद्र का करीमनगर	रु.78,12,500/-

		राव	
09.01.2006	450444	श्याम सुंदर अग्रवाल का एचडीएफसी बैंक, हिमायत नगर शाखा, हैदराबाद	रु. 78,12,500/-
09.02.2006	450544	आंध्रा बैंक, सेंट जॉन्स ईएम हाई स्कूल शाखा, एस हरेंद्र का करीमनगर राव	रु. 78,12,500/-
09.02.2006	450445	श्याम सुंदर अग्रवाल का एचडीएफसी बैंक, हिमायत नगर शाखा, हैदराबाद	रु. 78,12,500/-
09.03.2006	450545	आंध्रा बैंक, सेंट जॉन्स ईएम हाई स्कूल शाखा, एस हरेंद्र का करीमनगर राव	रु. 78,12,500/-
09.04.2006	450546	आंध्रा बैंक, सेंट जॉन्स ईएम हाई स्कूल शाखा, एस हरेंद्र का करीमनगर राव	रु. 78,12,500/-
09.04.2006	450447	श्याम सुंदर अग्रवाल का एचडीएफसी बैंक, हिमायत नगर शाखा, हैदराबाद	रु. 78,12,500/

8. उपरोक्त पार्टियां घोषणा करती हैं और पुष्टि करती हैं कि किसी भी अप्रत्याशित मुकदमेबाजी से बचने के लिए इस लेनदेन के सफल समापन के लिए, दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से श्री के. सुधाकर राव पुत्र श्री स्वर्गीय श्री के. माधव राव, निवासी प्लॉट को नियुक्त किया है। नंबर 7, यूबीआई कॉलोनी रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद और श्री गोने प्रकाश राव पुत्र गोने चलपति राव निवासी ट्रांसपोर्ट गेस्ट हाउस, तरनाका, हैदराबाद मध्यस्थ और मध्यस्थ के रूप में हैं, जिन्हें उपरोक्त जांच के साथ-साथ अन्य सभी निम्नलिखित दस्तावेज़ सौंपे गए हैं और ये यहां दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार पूरे लेनदेन के संतोषजनक समापन तक उनकी हिरासत में रहेंगे।

ए) ऊपर संदर्भित 9 चेक

बी) दूसरे भाग की पार्टियों और उनके सहयोगियों के 22,40,000 इक्विटी शेयरों से संबंधित विधिवत हस्ताक्षरित हस्तांतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र।

xxx xxx xxx

10. पहले भाग की पार्टियाँ आगे सहमत हैं और इस दस्तावेज़ की तारीख से दो महीने के भीतर मेसर्स आंध्रा बैंक के साथ अपने सहयोगियों के व्यक्तिगत गारंटरों के साथ दूसरे भाग के पार्टियों द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी को प्रतिस्थापित करने का वचन देती हैं।

11. जब तक कुल लेन-देन संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो जाता है और जब तक पूरी बिक्री पर विचार नहीं किया जाता है और जब तक दूसरे भाग की पार्टियों की व्यक्तिगत गारंटी को मेसर्स आंध्रा बैंक के साथ पहले भाग की पार्टियों के एसोसिएट्स की व्यक्तिगत गारंटी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, तब तक उपरोक्त नाम दिया गया है। मध्यस्थ/मध्यस्थ दूसरे भाग की पार्टियों के शेयरों के संबंध में विधिवत हस्ताक्षरित शेयर हस्तांतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र पहले भाग की पार्टियों को नहीं सौंपेंगे।

12. इस बात पर भी सहमति है कि संपूर्ण लेन-देन की अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन की स्थिति में उक्त मध्यस्थों/मध्यस्थों द्वारा

लिया जाने वाला कोई भी निर्णय अंतिम होगा और यहां उपरोक्त सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

9. इन खंडों को पढ़ने पर जो बात सामने आती है वह यह है कि श्री सुधाकर राव और श्री गोन प्रकाश राव, हालांकि मध्यस्थ/मध्यस्थ के रूप में जाने जाते हैं, निस्संदेह एस्क्रो एजेंट हैं जिन्हें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एस्क्रो में रखने के लिए नियुक्त किया गया है, और एमओयू में निहित लेनदेन के सफल समापन को सुनिश्चित करने के लिए। दरअसल, तथ्य यह है कि उन्हें "मध्यस्थ/मध्यस्थ" और "मध्यस्थ और मध्यस्थ" के रूप में संदर्भित किया गया है, यह दर्शाता है कि इस्तेमाल की गई भाषा ढीली है - वास्तव में विचार यह है कि दो नामित व्यक्ति कार्यान्वयन के दौरान सभी आवश्यक चीजें करते हैं यह देखने के लिए कि लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, पार्टियों के बीच लेनदेन। यह बात तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब खंड 8 और 11 को सूक्ष्मता से देखा जाता है। खंड 8 स्पष्ट रूप से घोषित करता है और पुष्टि करता है कि "किसी भी अप्रत्याशित मुकदमेबाजी से बचने के लिए इस लेनदेन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए", दो एस्क्रो एजेंटों को नियुक्त किया गया है। खंड 11 आगे यह स्पष्ट करता है कि ये दोनों सज्जन एस्क्रो एजेंट हैं, लेकिन कुल लेनदेन संतोषजनक ढंग से पूरा होने तक कुछ दस्तावेज नहीं सौंपेंगे।

10. हम श्री सिब्बल से सहमत हैं कि खंड 12 को एमओयू के इन खंडों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, और इसलिए, खंड 12 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "निर्णय" केवल एक प्रोटेम निर्णय है - अर्थात्, दो एस्क्रो एजेंटों को केवल लेन-देन की अवधि के दौरान ही निर्णय लेना होता है, उसके बाद नहीं। उन्होंने सही ढंग से तर्क दिया है कि, एक प्रसिद्ध लैटिन अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए, लेनदेन पूरा होने के बाद वे "फ़ंक्टस ऑफ़िसियो" होते हैं। इसके अलावा, खंड 12 में संदर्भित "उल्लंघन" अन्य बातों के साथ-साथ, पहले भाग की पार्टी द्वारा दिए गए एक वचन को संदर्भित करते हैं जो खंड 10 में निहित है, जिसका उल्लंघन होने पर एस्क्रो एजेंटों को आवश्यक रूप से पहले निर्णय लेना होता है। लेन-देन के साथ आगे बढ़ें। इसलिए, जब समग्र रूप से देखा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि दो एस्क्रो एजेंट ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का फैसला करना है, चाहे लेनदेन पूरा होने से पहले या बाद में, पार्टियों को सुनने और प्राकृतिक सिद्धांतों का पालन करने के बाद न्याय, अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए। एमओयू को समग्र रूप से पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि उक्त एमओयू केवल उसमें नामित दो सज्जनों को एमओयू में उल्लिखित लेनदेन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एस्क्रो

एजेंटों के रूप में शक्तियों के साथ निवेश करता है और दोनों पक्षों के बीच विवादों को दूर करने के लिए भी नहीं। मध्यस्थ।

11. ***पी. दशरथराम रेड्डी कॉम्प्लेक्स (सुप्रा)*** में इस न्यायालय ने उन खंडों के बीच अंतर करने के लिए इस न्यायालय के बड़ी संख्या में निर्णयों का उल्लेख किया जो मध्यस्थता खंड थे और खंड जो या तो विशेषज्ञ निर्धारण के लिए प्रेरित करते थे या अन्यथा मध्यस्थता खंड नहीं थे। उदाहरण के लिए, फैसले के पैरा 17 में, ***यूपी राज्य बनाम टिपर चंद***, (1980) 2 एससीसी 341 के मामला का उल्लेख किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने माना था कि अधीक्षण अभियंता को वास्तव में कार्य के निष्पादन की देखरेख और प्रशासनिक नियंत्रण सौंपा गया था, जो इस खंड को मध्यस्थता खंड नहीं बना देगा। समान रूप से, न्यायालय ने ***के.के. मोदी*** (सुप्रा), जिसने फिर से यह स्पष्ट कर दिया कि आईएफसीआई के अध्यक्ष पर काफी हद तक भरोसा किया। जिन्हें समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में सभी विवादों का फैसला करना है और जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, को मध्यस्थता खंड नहीं माना जा सकता है, अंतर अन्य बातों के अलावा, इस कारण से कि यह खंड आईएफसीआई के अध्यक्ष को पार्टियों के बीच विवादों को तय करने के लिए अर्ध न्यायिक शक्तियों का निवेश नहीं करता है, क्योंकि यह केवल पार्टियों के बीच समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में था। निर्णय का पैरा 22 महत्वपूर्ण है, और ***के.के. मोदी*** (सुप्रा) से पता चलता है कि एक वैध मध्यस्थता समझौते के लिए वैध पूर्व-आवश्यकताएँ क्या हैं।

> "22. इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या समझौता ज्ञापन का खंड 9 एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है और क्या अध्यक्ष, आईएफसीआई का निर्णय एक पुरस्कार का गठन करता है। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सबसे पहले मध्यस्थता समझौते की निम्नलिखित विशेषताओं को समाप्त किया:
>
> "17. ... (1) मध्यस्थता समझौते में इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण का निर्णय समझौते के पक्षों पर बाध्यकारी होगा,
>
> (2) पार्टियों के अधिकारों का निर्णय करने के लिए न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र या तो पार्टियों की सहमति से या अदालत के आदेश से या किसी क़ानून से प्राप्त होना चाहिए, जिसकी शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि प्रक्रिया एक होनी चाहिए मध्यस्थता करना।

(3) समझौते में इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि पार्टियों के वास्तविक अधिकार सहमत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(4) कि न्यायाधिकरण दोनों पक्षों के प्रति निष्पक्षता के समान दायित्व के कारण निष्पक्ष और न्यायिक तरीके से पार्टियों के अधिकारों का निर्धारण करेगा।

(5) कि अपने विवादों को न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए संदर्भित करने के लिए पार्टियों का समझौता कानून में लागू करने योग्य होना चाहिए और अंत में,

(6) समझौते में इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि ट्रिब्यूनल उस विवाद पर निर्णय लेगा जो पहले से ही उस समय तैयार किया गया है जब ट्रिब्यूनल को एक संदर्भ दिया गया है।

18. अन्य कारक जो प्रासंगिक हैं, उनमें यह शामिल है कि क्या समझौते में इस बात पर विचार किया गया है कि न्यायाधिकरण को दोनों पक्षों से साक्ष्य प्राप्त होंगे और उनके तर्कों को सुनें या कम से कम पार्टियों को उन्हें आगे रखने का अवसर दें; क्या समझौते की शब्दावली इस दृष्टिकोण से सुसंगत या असंगत है कि प्रक्रिया का उद्देश्य मध्यस्थता था, और क्या समझौते के लिए न्यायाधिकरण को कानून के अनुसार विवाद का फैसला करने की आवश्यकता है।

वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि समझौते की शब्दावली, जैसा कि हमने ऊपर माना है, इस दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से असंगत है कि समझौते का इरादा था कि विवादों का निर्णय मध्यस्थता द्वारा किया जाए। दरअसल, चार में से तीन खरीददारों ने खंड 12 को मध्यस्थता खंड के रूप में नहीं पढ़ा, बल्कि इसके बजाय सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिससे हमारे निष्कर्ष को बल मिला कि समझौते के पक्षों के बाद के आचरण से यह भी पता चला कि वे समझते थे कि खंड 12 मध्यस्थता खंड नहीं था। समझौते में.

12. समान रूप से***, बिहार राज्य खनिज विकास निगम बनाम एनकॉन बिल्डर्स (आई) (पी) लिमिटेड***, (2003) 7 एससीसी 418 में निर्णय का उल्लेख किया गया था, और उस निर्णय में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि एक खंड जो एक में डाला गया है किसी विवाद की रोकथाम के उद्देश्य से किया गया समझौता मध्यस्थता समझौता नहीं होगा। वर्तमान मामले में, एमओयू का खंड 8 यह स्पष्ट करता है कि विचार विवादों को होने से रोकना और

समझौते के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उद्देश्य विवादों पर फैसला देना नहीं बल्कि उन्हें रोकना था।

13. श्री सिब्बल का यह तर्क कि अपीलकर्ता का आचरण वांछित नहीं है, भी सही है। हमारा विचार है कि 24.05.2007 को मध्यस्थता के लिए नोटिस जारी करने के बाद, धारा 11 के आवेदन को दिसंबर, 2009 तक ढाई साल की अवधि के लिए विलंबित करने का कोई कारण नहीं था। अपीलकर्ता को पता था कि खंड 12 को संभवतः एक मध्यस्थता खंड के रूप में नहीं समझा जा सकता है, फिर भी किसी तरह अपने भाइयों को उनके द्वारा दायर किए गए सिविल मुकदमे में शामिल न करके कार्यवाही में देरी करने की कोशिश की गई। समान रूप से, धारा 11 की याचिका के लंबित रहने के दौरान उनका आचरण बहुत कुछ वांछित नहीं है। 22.07.2011 को धारा 11 याचिका में फैसला सुनाए जाने से पहले ही, अपीलकर्ता ने एमओयू के आधार पर राहत के लिए 16.06.2011 को एक अन्य मंच, अर्थात् कंपनी लॉ बोर्ड से संपर्क किया। इसके बाद, उन्होंने कंपनी की याचिका जारी रखी, जिससे हमें विश्वास हो गया कि वह 22.07.2011 के फैसले के खिलाफ कोई और विकल्प छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर दूसरे विचार में, 358 दिनों की देरी से एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। 22.07.2011 को उनकी धारा 11 याचिका को खारिज करते हुए निर्णय। विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के दौरान भी उनका आचरण निराशाजनक रहा। 24.01.2017 को, उन्होंने कहा कि कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष दायर की गई उनकी याचिका को मध्यस्थता को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ वापस नहीं लिया जाए, जैसा कि किसी ने उम्मीद की होगी, बल्कि तथ्यों के समान सेट पर एक नई कंपनी याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ली जाए। . यह सब हमें यह देखने के लिए प्रेरित करता है कि, गुण-दोष के आधार पर निर्णय के अलावा, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारे विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग भी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जाना चाहिए।

14. अपील तदनुसार निस्तारित की जाती है।

दिव्या पांडे की अपील निस्तारित

आशीष तिवारी की देखरेख में मानसी मिश्रा द्वारा अनुवादित।